राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 13.08.2014 को आयोजित 122वीं बैठक के कार्यवृत

बैठक की अध्यक्षता श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा की गई। बैठक में श्री खेमराज चौधरी, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात, राजस्थान सरकार , डॉ.राजेन्द्र सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड, श्री एन. पी.टोपनो, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारिगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, विभिन्न बैंको , व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/अधिकारियो द्वारा सहभागिता की गई। (सूची संलग्न है)

श्री आर.के.गुप्ता, संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा बैठक के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय से उनके उदबोधन हेतु आग्रह किया गया।

श्री पी. श्रिनिवास , कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक को सम्बोधित करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम तिमाही के दौरान राज्य में 81 नई बैक शाखायें खोली गयी राज्य मे कुल बैक जमाएं 222089 करोड तथा कुल अग्रिम रु.199706 करोड रहा है । साख-जमा अनुपात 94.82% रहा, जो राज्य मे कार्यरत बैंको के उत्कृष्ट कार्य को दर्शाता है । हॉलांकि उन्होंने डूंगरपुर तथा राजसमन्द जिलों मे साख-जमा अनुपात 50% से कम रहने को असंतोषजनक बताया तथा इन जिलों मे कार्यरत सभी बैको से चालू वर्ष के दौरान साख-जमा अनुपात मे आशातीत वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा की ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि **वार्षिक साख योजना** के तहत प्रथम तिमाही मे उपलब्धि 38.31% रही तथा कृषि क्षेत्र मे यह उपलब्धि 38.53% रही ।

उन्होंने राज्य मे कृषि ऋणों में उपलब्द्धि पर संतोष प्रकट किया तथा दीर्घकालीन सावधि ऋण जैसे Dairy, Poultry, Horticulture Plantation, फसल कटाई बाद की गतिविधियों इत्यादि पर विशेष बल देने की आवश्यकता व सभी पात्र के.सी.सी.(KCC) खाता धारको को Rupay Card जारी करने पर बल दिया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋणों के वर्तमान 8.33% के स्तर में वृद्धि हेतु प्रयास किए जाकर सरकार द्वारा निर्धारित कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋणो का 15% के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु सभी सदस्य बैको से आग्रह किया व सदन को अवगत कराया कि हाल ही मे भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय मे जैन जाति भी सम्मिलत कर ली गई है साथ ही प्रदत ऋणो का सही-सही वर्गीकरण एवं रिपोर्टिग की आवश्यकता पर जोर दिया ।

अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि भारत वर्ष मे सम्पूर्ण वित्तीय योजना की शुरुवात होने जा रही है इस योजना को मिशन मोड मे लागु करने के लिये योजना की मोनिटरिंग प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रही है हाल ही मे SLBC द्वारा दिनांक 06/अगस्त/2014 को राजस्थान राज्य मे सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन पर विशेष एस.एल.बी.सी. मिटिंग का आयोजन कर विस्तृत चर्चा की गई । माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन योजना को 15 अगस्त 2014 को घोषित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस योजना का शुभारम्भ 28 अगस्त 2014 को प्रस्तावित है । इस योजना के तहत

देश मे सभी House holds (ग्रामीण एवं शहरी) का खाता खोला जाना है, प्रत्येक घर (Household) से कम से कम 2 खाते खोलने है तथा खाते खोलने मे घर की महिला सदस्य को प्राथमिकता दी जानी है । वर्तमान मे भारत मे कुल 24.67 करोड House hold है जिनमे 7.5 करोड House hold को अभी भी कवर करना बाकी है ।

अध्यक्ष महोदय ने इस योजना के तहत सभी परिवारो को ओपचारिक वित्तीय संस्थाओं से जोडने के लिये वित्तीय साक्षरता केन्द्रों का ब्लॉक स्तर पर विस्तार के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता के लिये प्रत्येक स्तर पर अभियान/केम्प आयोजित करने की विशेष आवश्यकता बताई । प्रस्तावित SVS के तहत एक निश्चित समय अवधि मे सभी परिवारों को बैंक खाता, व सभी ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिग आउटलेट की स्थापना जैसे कार्य किये जाने है इस प्रकार सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन के क्रियांवयन मे अग्रणी जिला प्रबन्धको की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी अतः सभी अग्रणी जिला प्रबन्धक कार्यालयो को सशक्त करने की आवश्यकता है । जिसके तहत सभी DCC Convener बैंक अग्रणी जिला प्रबन्धक कार्यालयो मे पर्याप्त स्टॉफ, व अन्य इंफ्रास्टकचर यथा नेट कम्पयूटर इत्यादि की उपलब्ध्ता सुनिश्चित करें । साथ ही LDMs को स्थानीय स्तर पर कार्य के निष्पादन किये जाने के लिये पर्याप्त अधिकार प्रदत करने पर बल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि SVS योजना के तहत खोले जा रहे खातों मे RuPay डेबिट कार्ड, सुक्ष्म बीमा उत्पाद, सुक्ष्म ऋण सुविधाए, स्वावलम्बन जैसी पेंशन योजना, सुविधाए उपलब्ध रहेगी । बचत खाते का संचालन संतोषजनक पाये जाने पर विभिन्न चरणो मे 5000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जानी है । बैंको द्वारा प्रदत सुक्ष्म ऋण, ओवरड्राफ्ट सुविधा के जोखिम को कवर करने के लिये नाबार्ड के सानिद्ध्य मे एक गारंटी निगम जैसी संस्था के बारे मे बताया ।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि राजस्थान राज्य मे कार्यरत 35 RSETI/RUDSETIs मे से 33 को भू-आवंटन हो चुका है । RSETI/RUDSETIs जिनमें निर्माण का कार्य लम्बित है उनसे भवन निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु अनुरोध किया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्धि की समीक्षा एवं अन्य विकासपरक मुद्दों पर आज की बैठक के कार्यसूची में विस्तृत चर्चा की जावेगी। अंत में उन्होने राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों को आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद ज्ञापित किया।

तत्पश्चात विभिन्न कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ की गई।

<u>एजेण्डा क्रमांक –1 (1.1)</u> सदन द्वारा विगत 121 वीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गई।

<u>एजेण्डा क्रमांक –1 (1.2) कार्यवाही बिन्दु:</u>

(i) **To facilitate banks to create online charge on agriculture land for extending agriculture credit to farmers**:-

कृषि भूमि पर बैंक का प्रभार Apnakhata.com मे ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा बैंकों को उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार से पुनः अनुरोध किया गया ।

आयोजना (संस्थागता विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा सुचित किया गया कि सर्वे नम्बर तथा नक्शे के अधतन का कार्य प्रगति पर है जो वर्ष 2015-16 तक पूर्ण होने उपरांत ही आवश्यक सुविधा पर विचार किया जाने के बारे मे सुचित किया है ।

(ii) Installation of Onsite ATM:

राज्य मे कार्यरत 6350 शाखाओं मे से 3655 शाखाओं मे Onsite ATM है।

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने शेष रही शाखाओं को Onsite ATM स्थापित करने के लिये सभी बैकों को आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया ।

(कार्यवाही-सदस्य-बैक)

(iii)Amendment in PDR Act, to include the Banks` dues under Government Sponsored programs as State dues under the definition of Financial Assistance for enabling the Banks to recover their dues:-

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 मे संशोधन सम्बन्धित प्रस्ताव को ड्रॉप करने के राजस्व विभाग के निर्णय से अवगत करवाया गया है इस क्रम मे संयोजक एस.एल.बी.सी. द्वारा राज्य सरकार से एक्ट मे संशोधन करने व पुनः विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाहीः राजस्व विभाग)

(iv) Sub Service Area Approach- Mapping of Gram Panchayat for coverage through Branch/BCA/CSC:Banks to ensure coverage of all unbanked sub service area (SSA)

राज्य की सभी 9091 ग्राम पंचायत में 9406 उप-सेवा क्षेत्र (SSA -Sub Service Area) चिन्हित किए गए है, जिनमें से 6207 उप-सेवा क्षेत्र (SSA -Sub Service Area) बैंक शाखा/बी.सी. के माध्यम से कवर किए जा चुके है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंको को आवंटित शेष रहे 3199 unbanked SSAs को शीघ्र कवर करने का आग्रह किया गया ।

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने बैंको द्वारा स्थापित कियोस्क/ बी.सी. Location पर बैंकिग लेन-देन/सेवायें नियमित आधार पर करने की आवश्यकता पर बल दिया ।

(कार्यवाही-सदस्य-बैक)

(v) Updation of GIS data on GIS portal

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने DCC बैंको से नियमित रुप से GIS portal Update करने का अनुरोध किया ।

(कार्यवाही-सदस्य-बैक)

(vi) National Urban Livelihood Mission (NULM): Approval of Draft of application format developed by local body Dept. GoR

Draft Application मे SLBC द्वारा प्राप्त सुझाव समावेश कर नोडल एजेंसी द्वारा नया आवेदन पत्र तैयार किया गया । यह नया आवेदन पत्र SLBC द्वारा सभी सदस्य बैंको को Circulate कर दिया गया है ।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 2:</u>

शाखा विस्तार: राज्य में 30.06.2014 को कुल 6350 बैंक शाखाएँ कार्यरत्त है। चालू वित्त वर्ष के दौरान खोली गई 81 शाखाओं में से 53 (65%) शाखाएँ ग्रामीण व अर्धशहरी केन्द्रों पर स्थापित की गई । चालू वित्त वर्ष के दौरान जुन 2014 तक खोली गई 81 शाखाओं में से 65 शाखांए व्यवसायिक बैंको की, 15 शाखांए ग्रामीण बैंको की तथा 1 शाखा कोपरेटिव बैंक की है ।

जमाएँ व अग्रिम: जून, 2014 को राज्य में कुल जमाएँ रूपये 222089 करोड़ तथा कुल अग्रिम रूपये 199706 करोड़ रहा ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: कुल **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** को ऋण रूपये 109309 करोड़ रहा जो कुल अग्रिम का 54.73% रहा । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में YOY वृद्धि 22.40% रही। वहीं कृषि में 16.55%, सूक्ष्म व लघु क्षेत्र एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 30.31% रही ।

राज्य मे कुल अग्रिमों का कृषि क्षेत्र को अग्रिम 29.96% रहा । कमजोर वर्ग को 15.82% तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को पदत कुल ऋणो का अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण 8.33% रहा ।

साख जमा अनुपात (CD Ratio): ज़ून , 2014 को राज्य में साख जमा अनुपात 94.82% रहा। जिला स्तर पर 31 जिलों का साख जमा अनुपात 50% से अधिक रहा, वहीं दो जिलों यथा डूंगरपुर व राजसमन्द में यह अनुपात क्रमशः 45% एवं 49% रहा है ।

अध्यक्ष महोदय ने बैंक द्वारा इन दो जिलो मे साख जमा अनुपात मे वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया ।

(कार्यवाही-सदस्य-बैक)

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान वार्षिक साख योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष जून तक उपलब्धि 38.31% रही। विभिन्न उप क्षेत्रों के तहत कृषि में 38.53%, सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र में 64.25%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 17.46% की उपलब्धि दर्ज की गई ।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि वार्षिक साख योजना के तहत भारत सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्यों के अनुरुप ही लक्ष्य निर्धारित किये जाने है अतः तद्वानुसार कृषि सावधि ऋण के लक्ष्य जिलेवार निर्धारित करने की आवश्यकता बताई ।

एजेण्डा क्रमांक – 3-

Roadmap for covering all unbanked villages of population below 2000

2000 से कम आबादी वाले 35085 अनबैंकड गांवो मे से 19826 गांवो को मार्च 2015 तक कवर करना है जिनमे से जून 2014 तक 11148 गांव कवर कर लिये गये है |

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि चिन्हित किये गये गांवो को सम्बन्धित बैक समय सीमा मे कवर करना सुनिश्चित करें तथा बताया कि भारतीय रिजर्व बैक से प्राप्त Clarification के अनुसार चिन्हित गावों मे Roadmap मे दर्शाये गये Coverage Mode मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नही रहेगा यथा जिन गांवो को शाखा या Fixed बीसी से Cover किया जाना है उनमे उनकी स्थापना सुनिश्चित की जावे ।

Mapping of Gram Panchayat for coverage through Branch/BCA/CSCs for Direct Cash Transfer – Sub Service Area Approach:

DFS, GoI ने वित्तीय समावेशन के तहत SSA approach को अपनाया है जिसके तहत जनसंख्या व दूरी के आधार पर राज्य मे कुल 9091 ग्राम पंचायतों मे 9406 SSAs चिन्हित किये गये है तथा बैकों को आवंटित किये गये है। जिनमे से 31.07.2014 तक 7112 SSAs कवर किये जा चुके है ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अनुरोध किया गया है कि शेष रहे SSA मे भी अतिशीघ्र बैकिंग आउटलेट (शाखा/कियोस्क/मोबाइल वैन इत्यादि) स्थापित करने की कार्यवाही की जाये ।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

On the issue of divergence between the guidelines of Government (Coverage of SSA) and RBI **(Covereage of villages < 2000),** Department of Financial Service-MoF, GoI clarified that:-

"In fact there is no divergence between RBI and Government guidelines.If read together, the Government guidelines stipulate a Stationary Business Correspondent Agent (BCA) in a SSA who can also cater to the needs of the nearby villages by fixing certain days in a week / fortnight to visit all other villages in the SSA. Thus the two guidelines supplement each other"

मिटिंग मे बताया कि एस.एल.बी.सी, द्वारा सभी सदस्य बैंको को उपरोक्त के बारे मे पूर्व में ही अवगत करवा दिया गया है ।

<u>सम्पूर्ण वितीय समावेशन :</u>

संयोजक एस.एल.बी.सी ने बताया कि सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन का शुभारम्भ मिशन मोड मे किया जा रहा है सभी बैंको से अनुरोध है कि अपने आवंटित SSA मे बैंक Outlet व विशेषकर ग्रामीण शाखाओं मे समुचित स्टाफ व अन्य Infrastructure की उपलब्धता सुनिश्चित करें ।

<u>Urban Financial Inclusion:</u>

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि अरबन वार्ड सभी बैंको को आवंटित कर दिये गये है । अतः शहरी गरीब, विस्थापित व्यक्तियों इत्यादि को बैंकिंग सेवा के दायरे मे लाने हेतु अरबन कियोस्क स्थापित करने की कार्यवाही की जाये ।

<u>Uploading of GIS data</u>:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि GIS Portal पर बैंकों से सम्बन्धित उपलब्ध जानकारी यथा नई शाखा/करेंसी चेस्ट, नियुक्त बीसी. एजेण्ट, नए स्थापित ए.टी.एम. इत्यादि अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा अपडेट रखनी है। नियमित अपडेशन के लिये जिले मे स्थित सभी बैको द्वारा उक्त जानकारियां अग्रणी जिला प्रबन्धक को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है ।

डी.सी.सी. संयोजक बैंक से अग्रणी जिला कार्यालय द्वारा GIS Portal पर मासिक आधार पर सूचनाओं को अद्यतन करवाना सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया गया ।

<u>(कार्यवाही: DCC Convenor Banks)</u>

<u>Setting up of clearing arrangement/Clearing House at Centres which have 3 or more Bank Branches:</u>

राज्य मे चिन्हित किये गये 229 केन्द्रों मे से जून,2014 को 111 केंन्द्रो पर clearing arrangement/Clearing House सुविधा उपलब्ध करवा दिये जाने से सदन को सूचित किया गया ।

सभी DCC Convenor Banks से अनुरोध किया गया कि सभी चिन्हित किये गये केन्द्रों पर clearing arrangement/Clearing House सुविधा उपलब्ध करवाये ।

(कार्यवाही: DCC Convenor Banks)

<u>भामाशाह स्कीम</u>: संयुक्त सचिव आयोजना ने बताया कि राज्य की भामाशाह योजना मे खाते खोलने के लिए SSA को आधार रखा गया है संयुक्त सचिव आयोजना द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिस बैंक को SSA/ग्राम पंचायत आवंटित है उनको भामाशाह केम्प मे खाते खोलने के लिये भाग लेना है तथा सम्बन्धित बैंक से खाते खोलने की व्यवस्था नही होने पर पंजाब नेशनल बैंक ने भामाशाह योजना के तहत सम्पूर्ण राजस्थान मे खाते खोलने के लिए राज्य सरकार को सहमति प्रदान की है ।

श्री खेमराज चौधरी, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात, राजस्थान सरकार , ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को बढावा देने के लिये महिला मुखिया का खाता भामाशाह स्कीम के तहत खोला जाना है । सभी बैकों से केम्प मे सक्रिय भाग लेने के लिए अनुरोध किया ।

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने बताया कि भामाशाह स्कीम मे खाते खुलने से सभी बैंको को सम्पूर्ण वित्तीय योजना मे भी सहायता मिलेगी । अतः सभी सदस्य बैंको से अनुरोध है कि भामाशाह स्कीम के केम्पो मे सक्रिय भागीदारी निभाएं ।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 4:</u>

Agriculture Credit Flow: वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान जून, 2014 को राज्य मे कुल अग्रिमों का कृषि क्षेत्र को अग्रिम 38.53% रहा ।

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने राज्य मे कृषि ऋणों में वृद्धि हेतु अपार सम्भावनाये बतायी तथा इनवेस्टमेण्ट क्रेडिट जैसे Minor Irrigation, Floriculture, Dairy, Rural Godawan, Green House, Horticulture Plantation हेतु विशेष बल देने की आवश्यकता बतायी तथा क्षेत्र आधारित इनवेस्टमेण्ट क्रेडिट पर जोर दिया व सभी पात्र के.सी.सी.(KCC) खाता धारको को डेबिट कार्ड/ए.टी.एम कार्ड शीघ्र जारी करने पर बल दिया ।
मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने भी क्षेत्र आधारित इनवेस्टमेण्ट क्रेडिट जैसे Minor Irrigation, Floriculture, Dairy, Rural Godawan, पर जोर दिया।

ग्रामीण गोदाम (Rural Godown) योजना :

मुख्य महाप्रबन्धक,नाबार्ड द्वारा सूचित किया गया योजना के तहत जारी अग्रिम अनुदान के Final समायोजन हेतु नाबार्ड स्तर पर लगभग 100 से अधिक मामले लम्बित है उन्होने बैंको से अनुरोध किया कि सम्बन्धित मामलो मे Joint Monitoring Inspection करवाने की कार्यवाही कर, Final दावा नाबार्ड को यथाशीघ्र प्रस्तुत करें ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा Rajasthan Agricultural Credit Operations(Removal of Difficulties) Act,1974 तहत दायर मामलों मे वसूली हेतु राजस्व अधिकारियों को लक्ष्य आंवटित कर वसूली मे सहयोग करने का राज्य सरकार से आग्रह किया गया । साथ ही रु. 5.00 लाख व इससे अधिक बकाया वाले खातों मे राको एक्ट के तहत वसूली की संवीक्षा राज्य स्तर पर करने के लिये व्यवस्था/प्रक्रिया स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया ।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 5:Government Sponsored Schemes:</u>
National Rural Livelihood Mission:

योजना के तहत Resourse Block हेतु SHG बैंक लिंकेज तथा क्रेडिट लिंकेज़ के लक्ष्य क्रमशः 12800 तथा 6900 दिये गये है ।

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने योजना के चालु वित्त वर्ष 2014-15 के लक्ष्य प्राप्त किये जाने पर बल दिया ।

National Urban Livelihood Mission (NULM):

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को सूचित किया गया कि 01.04.2014 से राज्य मे **SJSRY** की जगह NULM (National Urban Livelihood Mission) लागू की गयी है जिसकी Ministry of housing & urban poverty alleviation, भारत सरकार, द्वारा जारी विस्तृत गाईडलाईस सभी सदस्य बैकों को 23.05.14 को भेज दी गयी है ।
प्रोजेक्ट निदेशक, NULM ने बताया कि प्रदेश में Physical Target पूरे हो जाते है इसी के अनुरुप Financial Target पूरे करने हेतु स्वीकृत Project के अनुसार ऋण सीमा स्वीकृत/ वितरित करने के लिये बैंको से अनुरोध किया ।

प्रधामंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): नोडल एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया है कि चालू वर्ष (2014-15) के दौरान PMEGP योजना के तहत प्रथम किस्त का वितरण EDP Training के बाद ही किया जाना है अतः बैंक पात्र आवेदन पत्रो मे ऋण स्वीकृति की कार्यवाही यथाशीघ्र करें जिससे नये स्वीकृत आवेदन पत्रो मे EDP की Training लाभार्थियो को दी जा सके ।

एस.एल.बी.सी. प्रतिनिधि ने पिछले साल की पेंडिग को इस साल मे जोडने व निस्तारण के मामले मे जारी आवश्यक आदेश की प्रति एस.एल.बी.सी. को प्रदान करने हेतु अनुरोध किया ।

Special Central Assistance Scheme SC/ST (POP) - ने लम्बित आवेदन पत्र के शीघ्र निस्तारण का अनुरोध किया ।

Self Help Groups (SHG): सदन को अवगत करवाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 मे जून तक राज्य में 7433 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज से तथा 5501 समूहों को बैंक ऋण से जोड़ा गया है। SHG बैंक/क्रेडिट लिंकेज हेतु अनुमोदित Common आवेदन पत्र एस.एल.बी.सी. वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है।

भारत सरकार की पिछड़े जिलों यथा बाडमेर,बांसवाडा,डूंगरपुर,झालावाड में महिला स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन योजना के तहत राज्य में वर्ष 2014-15 के लिये 6947 SHGs का गठन किया गया । ज़ून ,2014 तक कुल 6640 समूहों का बैंक लिंकेज तथा 1585 समूहों का क्रेडिट लिंकेज किया गया है।

चालू वर्ष मे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी ब्याज अनुदान योजना के तहत केवल 50% ब्याज अनुदान ही उपलब्ध रहेगा । बैंको द्वारा चालू वर्ष के दौरान योजनानुसार वित्त पोषित महिला स्वयं सहायता समूह के ब्याज अनुदान क्लेम यथा समय नोडल बैंक शाखा को अग्रेशित किये जाने हेतु अनुरोध किया जिससे की योजना की प्रगति परिलक्षित हो सके ।

मुख्य महाप्रबन्धक , नाबार्ड द्वारा अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को बैंक लिंकेज व क्रेडिट लिंकेज से जोडने का आग्रह किया गया ।

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने महिला बाल विकास व नाबार्ड द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमो का NRLM व NULM कार्यक्रम के साथ Convergence की आवश्यकता पर बल दिया जिससे की राज्य मे स्वयं सहायता समूहो के विकास के कार्यक्रमो का गुणवत्तापूर्वक क्रियांवयन हो सके ।

(ग्रामीण विकास विभाग)

Credit Flow to Minority Community: सदन को अवगत करवाया गया कि 2014-15 के दौरान ज़ून, 2014 तक राज्य में कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में से अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण का प्रतिशत 8.33% रहा।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 6: Rural Self Employment Training Institute (RSETI) and Financial Literacy & Credit Counseling Centers (FLCC) :</u>

Rural Self Employment Training Institute (RSETI):

सदन को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2014-15 मे 5674 लाभार्थियो को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमे से 48 % प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा रोजगार प्राप्त किया गया ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने RSETI/RUDSETIs को पर्याप्त Infrastructure उपलब्ध करवाया जाये पर बल दिया तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्वयं का काम धन्धा/व्यवसाय चालू करने के लिये क्रेडिट लिंकेज से जोडने का आग्रह किया ।

महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार से अलवर एवं भरतपुर R-Seti को भूमि आवंटन करने तथा भूमि आवंटन से जुडे अन्य 5 लम्बित मामलो को शीघ्र निस्तारण हेतु अनुरोध किया ।

(ग्रामीण विकास विभाग)

Financial Literacy Centers (FLCs):

राज्य मे 55 **FLCs** केन्द्र स्थापित किये जा चिके है व इन केन्दों द्वारा समय-समय पर जागरुकता कैम्प,रात्री चौपाल व बैठकों के माध्यम से एक बडे वर्ग को वित्तीय साक्षरता मुहैया करवायी जा रही है।

सदन को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य मे FLCCs द्वारा कुल 569 आउटडोर एक्टिविटिज(Activities) की गयी जिनमे 37179 व्यक्तियों ने सहभागिता की ।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 7: Performance under CGTMSE</u>:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान जुन 2014 तक राज्य में 428 करोड़ के 4827 प्रकरणों को CGTMSE योजना के तहत कवर किया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 8: शिक्षा ऋण</u>: चालू वित्त वर्ष 2014-15 के लिये MOF द्वारा निर्धारित 97499 खातों मे कुल बकाया राशि रु.2388.55 करोड के लक्ष्यों के पेटे प्राप्ति(Achievment) 59519 खातों में बकाया राशि रु.1403.12 करोड रही ।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 9:Rajiv Rinn Yojana- Housing to Urban Poor:</u>

The Ministry of Housing and urban Poverty Alleviation (MH&UPA), भारत सरकार ने शहरी क्षेत्र मे आर्थिक कमजोर वर्ग तथा कम आय समूहों को आवासीय जरुरतो को पूरा करने के लिये एक संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना - राजीव रिन योजना चालू की है ।

<u>एजेण्डा क्रमांक–10: वसूली:</u>

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि शीघ्र वसूली हेतु मजबुत कानुनी ढांचा बनाने की जरुरत हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न सरकारी योजनाओं तहत बकाया की वसूली स्टेट इयूज की तरह करने के लिये PDR Act मे आवश्यक संशोधन करने हेतु वित्त/राजस्व विभाग राजस्थान सरकार से पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग)

NPA के उच्च स्तर को देखते हुये **अध्यक्ष महोदय ने** राज्य सरकार के अधिकारियों से संयुक्त वसूली Compaign आयोजित करने का आग्रह किया ।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 11:</u>

Disaster Management Act 2005:

National Diasaster Management Authority (NDMA), GoI has formulated guidelines on ensuring disaster construction of building and infrastructure financed through banks

सभी बैंको से NDMA की Guidelines को लागु करने व अनुपालना हेतु अनुरोध किया गया ।

बैठक का समापन सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर किया गया ।

****